कार्यालय प्राचार्य, नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय, आरा जिला जशपुर

क्रमांक / 101 / आरा दिनांक 10/09/2026

दावा आपत्ति निराकरण

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापन क्रमांक 63 / 2026 आरा दिनांक 21/08/2026 के तहत अंतिम तिथि 01/09/2026 तक विषय समाजशास्त्र हेतु कुल 68 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन पत्रों का परीक्षण कर पात्रता के आधार पर अनंतिम मेरिट सूची इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 96 आरा दिनांक 03/09/2026 को जारी की गई। इस सूची में दावा आपत्ति दिनांक 08/09/2026 तक आमंत्रित किए गए जिसमे 10 आवेदकों के दावा आपत्ति आवेदन प्राप्त हुए। इसका निराकरण इस महाविद्यालय द्वारा गठित अतिथि व्याख्याता चयन समिति द्वारा निम्नानुसार किए जाने की अनुसंशा की गई -

क्र.	आवेदक	दावा आपत्ति का विवरण	निराकरण
1.	डॉ प्रियंका ठाकुर	समाज कार्य में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी के कारण अनंतिम मेरिट सूची में अपात्र किया गया।	1. आवेदक द्वारा संलग्न पत्र छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन का आदेश क्रमांक एफ 1 - 24 / 2021 / 38-1 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 14/01/2025 लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित प्राध्यापक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सह विषय मान्य करने संबंधित है जबकि आवेदक ने अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था (विषय-समाजशास्त्र) हेतु आवेदन किया है। 2. आवेदक द्वारा संलग्न अन्य महाविद्यालय की मेरिट लिस्ट अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथासंशोधित 2026) की कंडीका क्रमांक 6 के तहत मेरिट हेतु अंकों के निर्धारण एवं वरीयता सूची तैयार करने में मान्य नहीं। उपरोक्त अनुसार दावा आपत्ति निराकृत की जाती है। अतः आवेदक की पात्रता का सत्यापन नहीं हुआ।

प्राचार्य
नायक नित्यानन्द साय शास.महाविद्यालय
आरा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

2.	डॉ सुनील कुमार	समाज कार्य में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी के कारण अनंतिम मेरिट सूची में अपात्र किया गया।	1. आवेदक द्वारा सह विषय मान्य करने के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) - 2019 शुद्धि पत्र क्रमांक 2923 / 27 / विज्ञापन / 2019 रायपुर दिनांक 23/02/2019 संलग्न किया गया। उक्त शुद्धि पत्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्राध्यापक भर्ती हेतु है जबकि आवेदक ने आतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु महाविद्यालय में आवेदन किया है। 2. आवेदक द्वारा संलग्न अन्य महाविद्यालय की मेरिट लिस्ट अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथासंशोधित 2026) की कंडीका क्रमांक 6 के तहत मेरिट हेतु अंकों के निर्धारण एवं वरीयता सूची तैयार करने में मान्य नहीं। उपरोक्त अनुसार दावा आपत्ति निराकृत की जाती है। अतः आवेदक की पात्रता का सत्यापन नहीं हुआ।
3.	डॉ प्रशांत कुमार बेन	आवेदक के दावा आपत्ति आवेदन में अपात्र सूची में रखने और निम्न बिन्दु उल्लेखित किए हैं - 1. यूजीसी ने केयर लिस्ट समाप्त किया है। 2. समाजशास्त्र में सह विषय समाजकार्य है। 3. आवेदक द्वारा दिए गए सभी पेपर पीएचडी के बाद प्रकाशित हैं।	1. अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथासंशोधित 2026) की कंडीका 6.3 के अनुसार पीएचडी / एमफिल में प्रकाशित शोधपत्रों को छोड़कर यूजीसी केयर जर्नल्स में प्रकाशित प्रत्येक शोधपत्र पर 02 अंक हैं। 2. आवेदक द्वारा आवेदित पद (अतिथि व्याख्याता एवं अन्य, विषय समाजशास्त्र) हेतु सह विषय समाजकार्य को मान्य करने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। 3. आवेदक ने निम्नलिखित जर्नल में प्रकाशित रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए - I) Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research (ISSN No. 2581-8872) II) Anukriti (ISSN No. 2250-1193) III) The Research Journal of Environment, Culture and Development (ISSN No. 2349-3313) IV) International Journal of Social Science & Management Studies (ISSN No. 2454-4655) V) Shodh Drishti (ISSN No. 0976-6650) उपरोक्त जर्नल्स अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथासंशोधित 2026) की कंडीका 6.3 के अनुसार यूजीसी केयर जर्नल्स में होने का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ।

Ashish Nikita

प्राचार्य
यक निलयानन्द साय शास.महाविद्यालय
आरा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

		4. छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन नीति 2024 (यथासंशोधित 2026)	4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथासंशोधित 2026) की कंडीका 6.4 अनुसार नहीं है। 5. आवेदक द्वारा संलग्न अन्य महाविद्यालय की मेरिट लिस्ट अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथासंशोधित 2026) की कंडीका क्रमांक 6 के तहत मेरिट हेतु अंकों के निर्धारण एवं वरीयता सूची तैयार करने में मान्य नहीं। उपरोक्त अनुसार दावा आपत्ति निराकृत की जाती है। अतः आवेदक की पात्रता का सत्यापन नहीं हुआ।
4.	श्री अमन	एम ए चतुर्थ सेमेस्टर की अंकसूची संलग्न न होने के कारण अपात्र सूची में रखा गया।	1. आवेदक के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करते समय एम ए चतुर्थ सेमेस्टर की मूल / प्रोविजनल अंक सूची उपलब्ध नहीं थी। विज्ञापन अनुसार आवेदन प्रस्तुत करते समय शैक्षणिक अर्हता की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत किया जाना था। 2. आवेदक द्वारा संलग्न अन्य महाविद्यालय की मेरिट लिस्ट अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथासंशोधित 2026) की कंडीका क्रमांक 6 के तहत मेरिट हेतु अंकों के निर्धारण एवं वरीयता सूची तैयार करने में मान्य नहीं। उपरोक्त अनुसार दावा आपत्ति निराकृत की जाती है। अतः आवेदक की पात्रता का सत्यापन नहीं हुआ।
5.	सुश्री एलिस एंजल तिर्की	समाज कार्य में स्नातकोत्तर के कारण अनंतिम मेरिट सूची में अपात्र किया गया।	आवेदक द्वारा संलग्न पत्र छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन का आदेश क्रमांक एफ 1 - 24 / 2021 / 38-1 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 14/01/2025 लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित प्राध्यापक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सह विषय मान्य करने संबंधित है जबकि आवेदक ने अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त अनुसार दावा आपत्ति निराकृत की जाती है। अतः आवेदक की पात्रता का सत्यापन नहीं हुआ।
6.	डॉ अर्जुन अस्ताया	एम फिल एवं पीएचडी के अंक जोड़ने संबंधित।	1. आवेदक का 2011 में समाज कार्य में स्नातकोत्तर, 2016 में समाज कार्य में एमफिल और 2025 में समाज कार्य में पीएचडी तथा 2021 में समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर है। 2. अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथासंशोधित 2026) की 6.5 के तहत संबंधित विषय में एमफिल और पीएचडी नहीं।

प्राचार्य
[illegible]क नित्यानन्द राय शास.महाविद्यालय
आरा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

			उपरोक्त अनुसार दावा आपत्ति निराकृत की जाती है। अतः आवेदन अनुसार एमफिल और पीएचडी के अंक मेरिट सूची में जोड़ने हेतु मान्य नहीं।
7.	श्री अमन गढ़ेवाल	04 रिसर्च पेपर के 08 अंक जोड़ने संबंधित।	1. आवेदक ने निम्नलिखित जर्नल्स में प्रकाशित 4 शोधपत्र संलग्न किए - i) International Journal for Multidisciplinary Research (ISSN No. 2582-2160) उपरोक्त जर्नल्स अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथासंशोधित 2026) की कंडीका 6.3 के अनुसार यूजीसी केयर जर्नल्स में होने का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। 2. आवेदक द्वारा संलग्न अन्य महाविद्यालय की मेरिट लिस्ट अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथासंशोधित 2026) की कंडीका क्रमांक 6 के तहत मेरिट हेतु अंकों के निर्धारण एवं वरीयता सूची तैयार करने में मान्य नहीं। उपरोक्त अनुसार दावा आपत्ति निराकृत की जाती है। अतः रिसर्च पेपर के अंक नहीं जोड़े गए हैं।
8.	डॉ रामदेव जुर्री	मानवशास्त्र में स्नातकोत्तर और पीएचडी होने के कारण अपात्र सूची में रखा गया है।	आवेदक द्वारा सह विषय मान्य करने हेतु संलग्न पत्र छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन का आदेश क्रमांक 489 /4114 / 2014 / 38-1 अटल नगर दिनांक 13/02/2019 सहायक प्राध्यापक भर्ती से संबंधित है जबकि आवेदक ने अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था (विषय - समाजशास्त्र) हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त अनुसार दावा आपत्ति निराकृत की जाती है। अतः आवेदक की पात्रता का सत्यापन नहीं हुआ।
9.	श्री नरेंद्र बखला	मानवशास्त्र में स्नातकोत्तर होने के कारण अपात्र सूची में रखा गया है।	आवेदक द्वारा सह विषय मान्य करने हेतु संलग्न पत्र छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन का आदेश क्रमांक 489 /4114 / 2014 / 38-1 अटल नगर दिनांक 13/02/2019 सहायक प्राध्यापक भर्ती से संबंधित है जबकि आवेदक ने अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था (विषय - समाजशास्त्र) हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त अनुसार दावा आपत्ति निराकृत की जाती है। अतः आवेदक की पात्रता का सत्यापन नहीं हुआ।
10.	सुश्री ईश्वरी सिंह	अनुभव प्रमाण पत्र के अंक जोड़ने संबंधित।	आवेदक द्वारा संलग्न 5 अनुभव प्रमाण पत्र अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथासंशोधित 2026) की कंडीका 6.4 के अनुरूप नहीं। उपरोक्त अनुसार दावा आपत्ति निराकृत की जाती है। अतः अनुभव प्रमाण पत्र के अंक नहीं जोड़े गए हैं।

प्राचार्य
...क नित्यानन्द साय शास.महाविद्यालय
आरा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

सदस्य , अतिथि व्याख्याता चयन समिति

आशीष राजपाल (सहा. प्राध्या.)

निकिता मिंज (सहा. प्रा.)

डॉ. भूपेन्द्र सिंह बंजारे (सहा. प्राध्यापक)

दुर्गावती पैंकरा सहा. प्राध्या.

Khushboo Khalkho Asst. Prof.

प्राचार्य

नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा जिला जशपुर

प्राचार्य नायक नित्यानन्द साय शास.महाविद्यालय आरा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

10/09/2026

पृ. क्र. 102

आरा दिनांक 10/09/2026

प्रतिलिपि:-

1. सर्वसंबंधित को सूचनार्थ।
2. कार्यालय नस्ती।

प्राचार्य

नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा जिला जशपुर

प्राचार्य नायक नित्यानन्द साय शास.महाविद्यालय आरा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

10/09/2026